कम.संख्या––223 (क)

रजि0 नं0 एल.डब्लू./एन.पी. 381
लाइसेन्स नं0 डब्लू0 पी0–41
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग––4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ, बृहस्पतिवार, 21 मार्च, 1991
फाल्गुन 30, 1912 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग–2

———

संख्याः551/छः–पु–2–91–1000(15)–72
लखनऊ 21 मार्च, 1991

———

अधिसूचना

सा0 प0नि0––16

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और 7 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों को प्रयोग करके और इस निमित्त जारी किए गए सभी वर्तमान नियमों का अतिक्रमण करके, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की विभागीय कार्यवाहियों, दण्ड और अपीलों को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

लागू होना 2–यह नियमावली उप पुलिस अधीक्षक की श्रेणी से निम्न अधीनस्थ श्रेणियों के पुलिस अधिकारियों पर प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं (3) जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,––

(क) ''नियुक्ति प्राधिकारी'' का तात्पर्य उस पद पर, जिसे कोईपुलिस अधिकारी तत्समय धारण करता है, नियुक्ति करने के लिए सशक्त प्राधिकारी से है,

(ख) ''सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है,

(ग) ''राज्यपाल'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है,

(घ) ''महानिदेशक'' का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस के महानिरीक्षक उत्तर प्रदेश से है,

(ड.)''महानिरीक्षक'' के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी के सभी अधिकारी भी है,

(च) ''उप महानिरीक्षक'' का तात्पर्य पुलिस उपमहानिरीक्षक और तत्समान श्रेणी के अधिकारियों से है,

(छ) ''पुलिस अधकिारी'' का तात्पर्य पुलिस उप अधीक्षक की श्रेणी से निम्न अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी हैं,

दण्ड 4–(1) निम्नलिखित दण्ड उपयुक्त और पर्याप्त कारणों से और एतद्पश्चात जैसी व्यवस्था की गयी है, किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित किए जा सकते हैं, अर्थात्:––

(क) दीर्घ शास्तियॉः––

(एक) सेवा से पदच्युति।

(दो) सेवा से हटाना।

(तीन) पंक्तिच्युत करना जिसके अन्तर्गत निम्नतर वेतनमान में या समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति भी है।

(ख) लघु शास्तियॉः––

(एक) प्रोन्नति को रोकना।

(दो) एक मास के वेतन से अनाधिक अर्थ दण्ड।

(तीन) वेतन वृद्धि को रोकना, जिसके अन्तर्गत दक्षता रोक पर वेतनवृद्धि को रोकना भी है।

(चार) परिनिन्दा।

(2) उपनियम (1) में उल्लिखित दण्डों के अतिरिक्त हेड कांस्टेबलों और कांस्टेबलो को भी निम्नलिखित दण्ड दिए जा सकते हैंः––

(एक) क्वार्टरों में परिरोध (इस पद के अन्तर्गत पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए दण्ड ड्रिल, अतिरिक्त गार्डड्यूटी सहित या रहित क्वार्टर गार्ड में परिरोध भी है)।

(दो) पन्द्रह दिन से अनधिक का दण्ड ड्रिल।

(तीन) सात दिन से अनधिक की अतिरिक्त गार्ड ड्यूटी।

(चार) सदाचरण वेतन (गुड काण्डक्ट पे) से वंचित करना।

(3) उपनियम (1) और (2) में उल्लिखित दण्डों के अतिरिक्त कांसटेबलों फ्टीग ड्यूटी से दण्डित किया जा सकता है, जो निम्नलिखित कार्यो तक सीमित होगाः––

(एक) तम्बू गाड़ना,

(दो) नाली खोदना,

(तीन) घास काटना, जंगल की सफाई करना और परेड के मैदान से कंकड–पत्थर हटाना,

(चार) बैरक और चांदमारी की मरम्मत करना और लाइन में इसी प्रकार के कार्य,

(पॉच) शस्त्रों की सफाई,

दण्ड देने की प्रक्रिया

5––(1) उन मामलों में, जिनमें नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) में वर्णित दीर्घ दण्ड दिए जा सकते हैं, नियम 14 के उपनियम (1) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(2)उन मामलों में, जिनमें नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (ख) में वर्णित लघु दण्ड दिए जा सकते हैं, नियम 14 के उपनियम (2) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

(3) उन मामलों में, जिनमें नियम 4 के उपनियम (2) और (3) में उल्लिखित लघु शास्तियां दी जा सकती हैं, नियम 15 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

जॉच का स्थान

6–– किसी पुलिस अधिकारी के विरूद्ध कोई जॉच या तो उस जिले में की जा सकती है, जिसमें वह कार्य या लोप हुआ जिसके सम्बंध में जॉच किया जाना प्रस्तावित है या जहॉ पुलिस अधिकारी को जॉच के प्रारम्भ के समय तैनात किया जा सके।

दण्ड की शक्तियॉ

7––(1) सरकार या पुलिस विभाग का कोई अधिकारी, जो उप महानिरीक्षक की श्रेणी से निम्न न हो, किसी पुलिस अधिकारी को नियम 4 में उल्लिखित कोई दण्ड दे सकता है।

(2) पुलिस अधीक्षक नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (तीन) और (ख) में उल्लिखित कोई दण्ड निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को दे सकता है।

(3) पुलिस अधीक्षक नियम–4 में उल्लिखित कोई दण्ड ऐसे पुलिस अधिकारियों को दे सकता है जो उप निरीक्षकों की श्रेणी से निम्न है।

(4) इस नियमावली में दिये गये उपबन्धों के अधीन रहते हुये, सभी सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक, जिन्होंने यथास्थिति, सहायक पुलिस अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक के रूप में दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, नियम–4 के अधीन दीर्घ दण्ड देने के शक्तियों के सिवाय पुलिस अधीक्षक की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं।

(5) इस नियमावली में दी गयी किसी बात के होते हुये भी, रिजर्व निरीक्षक, निरीक्षक या थाना अधिकारी अपने अधीन किसी कान्सटेबल को 3 दिन से अनधिक अवधि के लिये ड्रिल और फटीक ड्यूटी का दण्ड दे सकता है, लेकिन वह सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को अपने आदेशों की तुरन्त और किसी भी स्थिति में आदेश पारित करने से 24 घंटे से भीतर सूचना देगा।

पदच्युति और हटाना

8––(1) किसी पुलिस अधिकारी को नियुक्ति प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा न तो पदच्युत किया जायेगा और न सेवा से हटाया जायेगा।

(2) किसी पुलिस अधिकारी को इस नियमावली द्वारा यथा अनुध्यात उचित जांच और अनुशासनिक कार्यवाही के सिवाय न तो पदच्युत किया जायेगा, न हटाया जायेगा, और न पंक्तिच्युत किया जायेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम निम्नलिखित स्थितियों में लागू नहीं होगाः––

(क) जहॉ कोई व्यक्ति आचरण के आधार पर जिससे आपराधिक आरोप पर उसकी दोष सिद्वि हुई, पदच्युत किया जाय या हटाया जाय पंक्तिच्युत किए जाए, या

(ख) जहॉ किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या पंक्तिच्युत करने में सशक्त प्राधिकारी का समाधान हो जाए कि कुछ कारणों से जिन्हें अभिलिखित उस प्राधिकारी द्वारा किया जायेगा, ऐसी जांच करना युक्तियुक्ततः व्यवहारिक नहीं हैः या

(ग) जहां सरकार का समाधान हो जाए कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।

(3) हैड कान्सटेबलों या कान्सटेबलों की पदच्युति और हटाने के सभी आदेश पुलिस अधीक्षक द्वारा पारित किये जायेंगे। उन मामलों को, जिनमें पुलिस अधीक्षक किसी उप निरीक्षक या निरीक्षक की पदच्युति या हटाने की संस्तुति करें, सम्बन्धित उप महानिरीक्षक को आदेश के लिये अग्रसारित किया जायेगा।

(4) (क) पुलिस अभिरक्षा या न्यायिक अभिरक्षा से किसी व्यक्ति को साशय या उपेक्षा पूर्वक भागने देने के लिये पदच्युति का दण्ड होगा जब तक दण्ड प्राधिकारी अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से उससे कोई हल्का दण्ड न दें।

(ख) नैतिक अधमता से अन्तर्ग्रस्त किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा सिद्वदोष ठहराए जाने वाले प्रत्येक अधिकारी, को पदच्युत किया जायेगा जब तक दण्ड प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से इस पर अन्यथा विचार न करें।

पदावनति का दण्ड

9––किसी भी पुलिस अधिकारी को उस पद से नीचे पद पर पंक्तिच्युत नहीं किया जाएगा, जिस पर उसे मूलतः नियुक्त किया गया था। किसी अधिकारी को उसकी श्रेणी से ठीक निम्नतर श्रेणी पर या निम्नतर वेतनमान में, या वेतनमान में किसी प्रक्रम से निम्नतर प्रक्रम पर विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पंक्तिच्युत किया जा सकता है।

वेतन वृद्वि रोकने का दण्ड

10–– दण्ड के रूप में वेतनवृद्वि रोकने के प्रत्येक आदेश में उस अवधि का उल्लेख किया जाएगा, जिसके लिए वेतनवृद्वि रोकी गयी है और यह भी उल्लेख किया जाएगा कि क्या यह आदेश फाइनेन्शियल हैंड बुक, खण्ड–दो, भाग दो से चार में यथा उपबन्धित भविष्य की वेतनवृद्वि को स्थगित करने में प्रभावी होगा।

वरिष्ठ अधिकारियों की जॉच करने की शक्तियॉ

11–– इस नियमावली के अधीन जांच अधिकारी द्वारा प्रयोग किये गये सभी या किन्हीं कृत्यों का प्रयोग पुलिस बल के ऐसे किसी अधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है, जो श्रेणी में पुलिस अधीक्षक से वरिष्ठ हों।

विभागीय जॉच का अन्तरण

12–– महानिदेशक, महानिरीक्षक और उप महानिरीक्षक या पुलिस अधीक्षक, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, या तो स्वयं या विभागीय जांच करने वाले जांच अधिकारी के अनुरोध पर, पुलिस बल के तत्समान या उच्चतर पंक्ति के किसी अधिकारी को जांच अन्तरित कर सकते है।

अधिकारी जो अनुशासनिक कार्यवाही करने के लिए सक्षम नहीं है

13–– पुलिस बल को कोई राजपत्रित अधिकारी, जो या तो मामले में अभियोजन साक्षी है या उसने इसके पूर्व उस मामले में प्रारम्भिक जांच की है, इस नियमावली के अधीन उस मामले में जांच नहीं करेगा यदि उक्त राजपत्रित स्वयं पुलिस अधीक्षक है, तो सम्बन्धित उप महानिरीक्षक को मामले को, यथास्थिति, किसी अन्य जिले या इकाई को अन्तरित करने के लिए कहा जाएगा।

विभागीय कार्यवाही करने के लिए प्रक्रिया

14–– (1) इस नियमावली में निहित उपबन्धों के अधीन रहते हुये भी नियम 5 के उप–नियम (1) में निर्दिष्ट मामलों में पुलिस अधिकारियों के विरूद्व विभागीय कार्यवाही परिशिष्ट–एक में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की जा सकती है।

(2)उप–नियम (1) में निहित किसी बात के होते हुए भी नियम 5 के उपनियम (2) में निर्दिष्ट मामलों में दण्ड पुलिस अधिकारी को लिखित रूप में उसके विरूद्व की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही की और कार्य या लोप के लांछन की, जिस पर यह कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है, सूचना देकर, और ऐसे अभ्यावेदन करने का जो वह प्रस्ताव के विरूद्व करना चाहें उसे युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात दिया जा सकता है।

(3)इस नियमावली के अधीन संस्थित किसी कार्यवाही में आरोपित पुलिस अधिकारी का प्रतिनितित्व अभिवक्ता के द्वारा नहीं किया जाएगा।

अर्दली कक्ष दण्ड

15–– पुलिस अधिकारी के, जो हेड कान्सटेबल की पंक्ति से ऊपर का न हो, अनुशासन के छोटे मोटे उल्लंघनों की रिपोटों और कदाचार के तुच्छ मामलों की जांच और उसका निस्तारण अर्दली कक्ष में पुलिस अधीक्षक या पुलिस बल के अन्य राजपत्रित अधिकारी द्वारा किया जाएगा। ऐसे मामलों में दण्ड, पुलिस अधिकारी के कार्य या लोप की, जिस पर उसे दण्डित करना प्रस्तावित है, मौखिक सूचना देकर और मौखिक अभ्यावेदन करने का उसे अवसर देने के पश्चात संक्षिप्त रीति से दिया जा सकता है ऐसे मामलों के लिए इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र–2 में एक रजिस्टर रखा जाएगा। इस रजिस्टर में संक्षिप्त कार्यवाही को मूल पाठ अभिलिखित किया जायेगा।

अनुपस्थिति में कार्यवाही

16––(1)यदि पुलिस अधिकारी, जिसके विरूद्व विभागीय कार्यवाही लम्बित है या जिसके विरूद्व ऐसी कार्यवाही करना प्रास्तावित है या जिससे जांच अधिकारी के लिये सम्पर्क करना असम्भव है, अपनी तैनाती के स्थान से या कार्यवाही, जब वह प्रगति में हो, स्वयं को जानबूझ कर अनुपस्थित रखता है तो दोषी पुलिस अधिकारी के विरूद्व विभागीय कार्यवाही करने में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उसकी अनुपस्थिति में विभागीय कार्यवाही की जा सकती है।

(2) अनुपस्थिति में विभागीय कार्यवाही करने से पहले सम्बन्धित प्राधिकारी यह अभिलिखित करेगा कि पुलिस अधिकारी से सम्पर्क करने के लिये किए गये सभी युक्तियुक्त उपायों के बाबजूद उस पर आरोप तामील करना और उसका स्पष्टीकरण प्राप्त करना या उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति पाना सम्भव नहीं हुआ है।

स्पष्टीकरणः–– जहां पुलिस अधिकारी से उसकी सेवा–पुस्तिका में उसके द्वारा दिए गए यथा अभिलिखित पते पर और उसके वर्तमान रूकने के स्थान पर व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क किया जाए या आरोप या नोटिस उसे रजिस्टर्ड डाक से भेजी जाए या उसके वर्तमान रूकने के स्थान पर और उसकी सेवा–पुस्तिका में उसके द्वारा दिए गए यथा अभिलिखित पते पर विशेष वाहक द्वारा उसे भेजी जाए तो यह समझा जाएगा कि सम्बन्धित पुलिस अधिकारी से सम्पर्क करने के लिये युक्तियुक्त उपाय कर दिये गये है।

निलम्बन

17––(1)(क) कोई पुलिस अधिकारी, जिसके आचरण के विरूद्ध कोई जॉच अनुध्यात है, या चल रही है, नियुक्ति प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्राधिकारी के, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से निम्नन हो, विवेक पर जॉच की समाप्ति के लम्बित रहने तक निलम्बन के अधीन रखा जा सकेगा।

(ख) कोई पुलिस अधिकारी जिसके सम्बंध में या जिसके विरूद्ध आपराधिक आरोप से सम्बंधित कोई अन्वेषण, जॉच विचारण लम्बित है, यदि आरोप पुलिस अधिकारी के रूप में उसकी स्थिति से सम्बंधित है या उससे उसके कर्तव्यों को पूरा करने में बाध्य डालने की सम्भावना है या उसमें नैतिक उद्धमता अन्तर्गत है, नियुक्ति प्राधिकारी के, जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है, विवेक पर तब तक निलम्बित रखा जा सकेगा जब तक उस आरोप से सम्बंधित समस्त कार्यवाहियॉ समाप्त न हो जाये। यदि अभियोजन परिवाद पर गैर सरकारी किसी व्यक्तिगत द्वारा संस्थित किया गया है, तो नियुक्ति प्राधिकारी यह विनिश्चय कर सकता है कि क्या मामले की परिस्थितियॉ अभियुक्त के निलम्बन को न्यायोचित ठहराती हैं।

(2) कोई पुलिस अधिकारी,

(क) विरोध के दिनांक से, यदि उसे अड़तालीस घण्टे से अधिक की अवधि के लिए अभिरक्षा में विरूद्ध किया गया है चाहे विरोध आपराधिक आरोप पर या अन्यथा किया गया है,

(ख) सिद्धदोष ठहराते जाने के दिनांक से, यदि किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराये जाने के कारण उसे अड़तालीस घंटे से अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गयी है और उसे ऐसे सिद्धिदोष के फलस्वरूप तत्काल पदच्युत नहीं किया गया है या हटाया नहीं गया है, नियुक्ति प्राधिकारी के किसी आदेश से, यथा स्थिति निलम्बन के अधीन रख गया या निरन्तर रखा गया समझा जायेगा।

स्पष्टीकरणः– इस उप नियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट 48 घंटे की अवधि की गणना सिद्व दोष ठहराये जाने के पश्चात कारावास की आन्तरायिक कालावधियों को, यदि कोई हो, ध्यान में रखा जाएगा।

(3) जहॉ किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित पदच्युति या सेवा से हटाने की शास्ति को इस नियमावली के अधीन अपील में या पुर्नविलोकन में अपास्त कर दिया जाये और मामले की अग्रेत्तर जांच या कार्यवाही के लिए किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ प्रेषित कर दिया जाए वहां,

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन था, तो उसके निलम्बन के आदेश को, उपर्युक्त किन्हीं ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने

के मूल आदेश के दिनांक को ओर से निरंतर प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा,

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नहीं था, तो उसे यदि अपील या पुनरीक्षण करने वाले प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से, नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगाः–

परन्तु इस उप नियम का किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह सक्षम प्राधिकारी की, ऐसे मामले में जहां किसी पुलिस अधिकारी पर पदच्युति या सेवा से हटाए जाने की आरोपित शास्ति को इस नियमावली के अधीन किसी अपील या पुनरीक्षण में, उन अभिकथनों के, जिन पर शास्ति आरोपित की गयी थी, गुणों से भिन्न आधार पर अपास्त कर दिया गया हो, किन्तु मामले को अग्रेत्तर जांच या कार्यवाही के लिए या किन्हीं निदेशों के साथ प्रेषित किया गया हो, उन अभिकथनों पर उसके विरूद्व अग्रेत्तर जांच लम्बित रहते हुये निलम्बन आदेश, इस प्रकार की उसका भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा, पारित करने की शक्ति को, प्रभावित करता है।

(4) जहॉ किसी पुलिस अधिकारी पर आरोपित पदच्युति या सेवा स हटाने की शास्ति को अरोपित किसी विधि न्यायालय के विनिश्चय के परिणाम स्वरूप या उसके द्वारा अपास्त कर दिया जाय या शून्य घोषित कर दिया जाय या शून्य का दिया जाय और नियुक्ति प्राधिकारी, मामले की परिस्थितियों पर विचार करने पर, उसके विरूद्व उन अभिकथनों, जिस पर पदच्युति या हटाने की शास्ति मूल रूप में आरोपित की गयी थी, अग्रतर जांच करने का विनिश्चय करें, चाहे वे अभिकथन अपने मूल में रहें या उन्हें स्पष्ट कर दिया जाय या उनके विवरणों की और अच्छी तरह विनिर्दिष्ट कर दिया जाय या उनके किसी छोटे मोटे भाग का लोप कर दिया जाय, वहॉ––

(क) यदि वह शास्ति दिये जाने के ठीक पूर्व निलम्बन के अधीन या, तो उसके निलम्बन के आदेश को नियुक्ति प्राधिकारी के किसी निदेश के अधीन रहते हुए, पदच्युति या हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निरन्तर प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा,

(ख) यदि वह निलम्बन के अधीन नही था, तो उसे, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार निर्देशित किया जाय,पदच्युतिया हटाने के मूल आदेश के दिनांक की ओर से निलम्बन के अधीन रखा गया समझा जायेगा।

(5) (क) इस नियम के अधीन दिया गया या दिया गया समझा गया या प्रवृत्त बना हुआ कोई निलम्बन आदेश तब तक प्रवृत्त बना रहेगा जब तक उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा उसे उपान्तरित या प्रतिसंहृत न कर दिया जाय।

(ख) जहां कोई पुलिस अधिकारी चाहे किसी अनुशासनिक कार्यवाही के सम्बन्ध में या अन्यथा निलम्बित कर दिया जाय या निलम्बित किया गया समझा जाय और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलम्बन के दौरान उसके विरूद्व प्रारम्भ कर दी जाय, वहॉ निलम्बित करने के निये सक्षम प्राधिकारी अभिलिखित किये जाने वाले कारणीं से यह निदेश देगा कि पुलिस अधिकारी तब तक निलम्बित बना रहेगा जब तक ऐसी समस्त या कोई कार्यवाही समाप्त न कर दी जाय।

(6) फाइनेन्शियल हैण्डबुक, खण्ड दो, भाग दो से चार का सब्जीडियरी रूल 199 इस नियम द्वारा नियमित होने वाले पुलिस अधिकारी पर लागू नही होगा।

न्यायालय द्वारा अवक्षेप

18–– जहां कोई न्यायालय प्रतिकूल रूप से किसी पुलिस अधिकारी के आचरण की आलोचना करता है, वहां किसी अपील के यदि कोई हो परिणाम की प्रतीक्षा किये बिना उन बिन्दुओं पर जिन्हे न्यायालय ने परिनिन्दा के योग्य ठहराया है, तुरन्त जांच की जायेगी।

जॉच के दौरान अवकाश

19–– ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को, जो निलम्बनाधीन हो या जिसके विरूद्व जांच लम्बित हो या अनुध्यात हो उस जिले के ,जिसमें प्रलिस अधिकारी तैनात हो, मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चिकित्सीय प्रमाण–पत्र के विषय अवकाश स्वीकृत नही किया जा सकता।

अपील

20––(1) ऐसा पुलिस अधिकारी, जिसके विरूद्व नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के

उपखण्ड (एक) से (तीन) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) से चार में उल्लिखित दण्ड का आदेश पारित किया जाय, ऐसे दण्ड के विरूद्व नीचे उल्लिखित प्राधिकारी को अपील कर सक्ता है––

(क) उप महानिरीक्षक को, यदि मूल आदेश पुलिस अधीक्षक या इस नियमावली के उपनियम (4) के अधीन सशक्त अधिकारियों का हो,

(ख) महानिरीक्षक को, यदि मूल आदेश उप महानिरीक्षक का हो,

(ग) महानिदेशक को, यदि मूल आदेश महानिरीक्षक का हो,

(घ) राज्य सरकार को, यदि मूल आदेश महानिदेशक का हो,

(2) नियम 4 के उपनियम (2) और (3) में उल्लिखित किन्हीं लघु दण्डों को देने वाले किसी आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की जायेगी।

(3) प्रत्येक अधिकारी जो अपील करने का इच्छुक हो, अलग से ऐसा करेगा।

(4) इस नियमावली के अधीन प्रस्तुत की गयी प्रत्येक अपील में वह सभी सामग्री, विवरण, तर्क होंगें, जिन पर अपील प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा भरोसा किया जाय और वह स्वयं में पूर्ण होगी, किन्तु उसमें अपमानजनक या अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं कियका जायेगा, प्रत्येक अपील के साथ अन्तिम आदेश की, जो अपील का विषय है, एक प्रति होगी।

(5) प्रत्येक अपील, चाहे अपीलार्थी अब भी सरकार की सेवा में हो, या नहीं, जिले के पुलिस अधीक्षक के माध्यम से या जिला कार्य में नियुक्त न किये गये पुलिस अधिकारियों के मामले में उस कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से, जिससे अपीलार्थी सम्बंधित हो या सम्बंधित रहा हो, प्रस्तुत की जायेगी।

(6) कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायेगी, जब तक कि वह उस दिनांक में जब सम्बंधित पुलिस अधिकारी को दण्डादेश की सूचना दी गयी थी, तीन मास के भीतर प्रस्तुत न की जाय, परन्तु यह कि अपील प्राधिकारी स्वविवेक से दर्शाये गये अच्छे कारणों से, उक्त अवधि को छः मास तक बढ़ा सकती है।

(7) यदि प्रस्तुत की गयी अपील उपनियम (4) के उपबन्धों का अनुपालन नहीं करती है तो अपील प्राधिकारी अपीलार्थी से उसे दिये गये ऐसे आदेश की नोटिस के एक मास के भीतर उक्त उपनियम के उपबन्धों का अनुपालन करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि अपीलार्थी उक्त अनुपालन करने में विफल रहता है तो अपील प्राधिकारी अपील को उस रीति से, जैसा वह उचित समझे, निस्तारित कर सकता है।

(8) महानिदेशक या महानिरीक्षक अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, या तो स्वयं या उस अपील प्राधिकारी के अनुरोध पर, जिसके समक्ष अपील लम्बित है, उसे तत्समान श्रेणी के किसी अन्य अधिकारी को अन्तरित कर सकता है।

अपील के साथ दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना

21–– (1) जब अपील अधिकारी अपील को स्वीकार कर लेता है और अभिलेखों को मंगाता है, तब इन सभी पत्रादि को प्रस्तुत करना चाहिए, जिन पर उस अधिकारी द्वारा विचार किया गया था, जिसके आदेश के विरूद्ध अपील की गयी थी, जिसके अन्तर्गत दण्डित प्राधिकारी की चरित्र पंजी और सेवा पंजी भी है।

(2) अपील में पारित आदेश की प्रतियों के साथ जो अपील प्राधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक को भेजी जाय, विभागीय दण्ड पत्रावली भी अनिवार्य रूप से होगी और उसके साथ प्रस्तुत की जायेगी, जब अभिलेख मांगा जाय।

पदच्युति अवधि की गणना

22–– जहॉ पदच्युत या हटाये जाने के आदेश के विरूद्ध कोई अपील सफल होती है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी विचार करेगा और (एक) ड्यूटी से जबरन अनुपस्थिति की अवधि के लिए जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, उसकी पदच्युति या हटाये जाने के पूर्व की निलम्बन की अवधि भी है, भुगतान किये जाने वाले वेतन और भत्तो के सम्बंध में विशिष्ट आदेश देगा और (दो) यह आदेश देगा कि क्या उक्त अवधि को फाइनेन्शियल हैण्ड बुक, खण्ड–दो, भाग–दो से चार के नियम 54 के उपबन्धों के अनुसार ड्यूटी पर व्यतीत की अवधि समझा जायेगा अथवा नहीं।

पुनरीक्षण

23–– (1) ऐसा कोई अधिकारी, जिसकी अपील सरकार के अधीन किसी प्राधिकारी

द्वारा अस्वीकार कर दी गयी हो, उस प्राधिकारी से, जिसके द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गयी है, उच्चतर श्रेणी के प्राधिकारी को अपील अस्वीकार किये जाने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर, पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए हकदार है। ऐसे प्रार्थना पत्र पर पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब घोर अनियमितता के परिणामस्वरूप सारवान न्याय की हत्या होना प्रतीत होः–

प्रतिबन्ध यह है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से अपील में पारित किसी आदेश की जिसके विरूद्ध इस नियम के अधीन कोई पुनरीक्षण न प्रस्तुत किया गया हो, विधिमान्यता या औचित्य के सम्बंध में या ऐसी प्रक्रिया की अनियमितता के सम्बंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ उसके अभिलेख को मंगा सकता है और उनका परीक्षण कर सकता है और उसके सम्बंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह कि प्रभावित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना प्रथम परन्तुक के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2) अपील के लिए विहित प्रक्रिया पुनरीक्षण के आवेदन–पत्रों पर भी लागू होती है अपील को अस्वीकार करने वाले आदेश के पुनरीक्षण के किसी आवेदन–पत्र के साथ आदेश की एक प्रति तथा अपील प्राधिकारी का आदेश भी होगा।

दण्ड का बढ़ाया जाना

24–– किसी दण्ड को

(क) अपील पर अपील प्राधिकारी द्वारा, या

(ख) पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करके उस प्राधिकारी से वरिष्ठ किसी प्राधिकारी द्वारा, जिसको आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया जाय, बढ़ाया जा सकता हैः–

प्रतिबन्ध यह है कि दण्ड बढ़ाये जाने के पूर्व, ऐसा प्राधिकारी दण्डित अधिकारी से यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न उसके दण्ड को इस प्रकार बढ़ा दिया जाय और इस प्रकार दण्ड बढ़ाने वाले ऐसे प्राधिकारी के आदेश को दण्ड का मूल आदेश समझा जायेगा।

सरकार की शक्ति

25–– इस नियमावली में किसी बात के होत हुए भी सरकार अपने स्वप्रेरणा से या अन्यथा, ऐसे किसी मामले के अभिलेखों को मंगा सकती है और उनका परीक्षण कर सकती है जिसे उसके अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा इस नियमावली द्वारा उसे प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके विनिश्चित किया गया हो और जिसके विरूद्ध इस नियमावली के अधीन कोई अपील न की गयी हो, और––

(क) ऐसे प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश की पुष्टि, उपान्तर या पुनरीक्षण कर सकती है, या

(ख) निदेश दे सकती है कि मामले में अग्रेतर जॉच की जाय या

(ग) आदेश द्वारा आरोपित दण्ड को कम कर सकती है या बढ़ा सकती है, या

(घ) मामले में ऐसा अन्य आदेश दे सकती है जैसा वह उचित समझेः–

प्रतिबन्ध यह है कि जहॉ किसी ऐसे आदेश द्वारा आरोपित शक्ति को बढ़ाने का प्रस्ताव किया जाय, वहॉ सम्बंधित पुलिस अधिकारी को प्रस्तावित बृद्धि के विरूद्ध कारण बताने का अवसर दिया जायेगा।

मूल दस्तावेज की प्रतियां

26–– कोई अधिकारी किसी आदेश की जिसके विरूद्ध इस नियमावली के अधीन कोई अपील, पुनरीक्षण के लिए आवेदन–पत्र या याचिका दी जासकती हो, एक प्रति निःशुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा।

भुगतान पर अभिलेखों की प्रतियां दिया जाना

27–– कोई पुलिस अधिकारी सरकार द्वारा समय–समय निर्धारित की जाने वाली दरों पर भुगतान करने पर किसी अपील के पुनरीक्षण के आवेदन–पत्र या याचिका जो इस नियमावली के अधीन प्रस्तुत की जाय, के समस्त पत्रादि को गोपनीय पत्रादि के सिवाय, जिनका प्रकाशन प्रशासन के प्रतिकूल होगा, प्राप्त करने का हकदार होगा।

टिप्पणीः––दण्ड के मामले में रिपोर्ट करने वाला अधिकारी, यथा सम्भव, इन सभी मामलों को

निकाल देगा जिनका प्रकाशन प्रशासन के प्रतिकूल हो सकता है।

——————

परिशिष्ट—– एक
पुलिस अधिकारी के विरूद्व विभागीय कार्यवाहियों के संचालन से सम्बन्धित प्रकिया ।
{ नियम 14 (1) देखिये}

कोई औपचारिक जॉच संस्थित किये जाने पर, ऐसे पुलिस अधिकारी को जिसके विरूद्व जांच संस्यित की गयी हो,उन आधारों की, जिन पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, लिखित सूचना दी जायेगी और उसे अपना बचाव करने का पर्याप्त अवसर दिया जायेगा। उन आधारों का जिन पर कार्यवाही करने का प्रस्ताव हो, प्रयोग किसी निश्चित आरोप के रूप में किया जायेगा जैसा कि इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र–एक में है जिसकी सूचना आरोपित पुलिस अधिकारी को दी जायेगी और इतना स्पष्अ और संक्षिप्त होगा कि आरोपित पुलिस अधिकारी को उसके विरूद्वतथ्यों और परिस्थितियों का पर्याप्त संकेत मिल जायउससें युक्तियुक्त समय के भीतर अपने बचाव का लिखित विवरण देने और यह कहने की अपेक्षा की जायेगी कि क्या वह व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इच्छुक है। यदि वह ऐसा चाहता है या यदि जॉच अधिकारी ऐसा निदेश देता है तो ऐसे आरोपों के सम्बन्ध में जो स्वीकार न किए जाए मौखिक जांच की जायेगी। इस जांच में ऐसे मौखिक साक्ष्य को अभिलिखित किया जायेगा जैसा जांच अधिकारी आवश्यक समझे। आरोपित पुलिस अधिकारी साथियों की प्रति परीक्षा करने स्वयं साक्ष्य देने और ऐसे साथियों को जिन्हे वह चाहे बुलने का हकदार होगा, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जांच अधिकारी पर्याप्त कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगे, किसी साक्षी को बुलाने से इन्कार कर सकता है कार्यवाहियों में साक्ष्य का पर्याप्त अभिलेख और उप पंक्तियों का विवरण और उसका आधार होगा। जांच संस्तुति भी कर सकता है।

प्रपत्र–एक

पुलिस अधिनियम 1861 की धरा 7 के अधीन कार्यवाहियों में प्रयोग किया जानेवाला आरोप प्रपत्र

———————————————————————————————— का कार्यालय

दिनांक————199———

सेवामें,

(आरोपित पुलिस अधिकारी का पूरा नाम और पदनाम)

आपको एतद्द्वारा निम्नानुसार आरोपित किया जाता है :———

(1)कि आप———————————को(या लगभग) या————————————————— (के बीच) और——————————————(दिनांक)जब————————————(पद नाम) के रूप में तैनात थे———————————(मामले के तथ्य)——————————————————— और एतद्द्वारा नियम ————————————— के उल्लंघन या आदेश की अवहेलना या अपने कर्त्तव्य का निर्वहन करने में विंल रहने या इत्यादि के दोषी थे।

साक्ष्य जिस पर आरोप के समर्थन में विचार किये जाने का प्रस्ताव है——

(एक)+

(दो)+

(तीन)+

(2) कि आप*

(3) कि आप*

\+ (उतनी बार दोहराया जायेगा जितने आरोप थे)

एतद्द्वारा आपसे प्रत्येक आरोप के उत्त्र में अपने बचाव का लिखित विवरण दिनांक—————————को या उसके पूर्व प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।आपको सचेत

किया जाता है कि यदि अधोहस्ताक्षरी द्वारा अनुमत समय के भीतर आपसे ऐसा कोई विवरण प्राप्त नही होता है, तो यह उपधारणा की जायेगी कि आपको कुछ नही प्रस्तुत रिना हे और आपके मामले में तद्नुसार आदेश पारित कर दिये जायेगें।

साथ ही साथि आपसे अधोंहस्ताक्षरी को लिखित रूप में यह सूचित करने की भी अपेक्षा की जाती है कि क्या आप व्यक्तिगत सुनवाई के लिए इच्छुक है और यदि आप किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा करना चाहते है तो अपने लिखित विवरण के साथ या साथ उनका नाम और पता और साक्ष्य का, जिसे प्रत्येक ऐसे साक्षी से देने की प्रत्याशा की जायेगी, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है।

(जांच अधिकारी का हस्ताक्षर
और पद नाम)
*(के लिये और से की)

प्रमाणित किया जाता है कि आरोप———————————————————————— (आरोपित पक्ष) को पढ़कर सुना दिया गया है और उसे साधारण हिन्दी में स्पष्ट कर दिया गया है और उसकी एक प्रति——————————————————को दे दी गयी है।

आरोप की एक प्रति
प्राप्त किया

(जांच अधिकारी का
हस्ताक्षर और पदनाम)

(आरोपित पक्ष का हस्ताक्षर)

निम्नलिखित आरोप का भाग नही बनेगा

अनुदेश

(एक) आरोप—पत्र सम्बन्धित व्यक्ति को दिया जाना चाहिये और आरोप—पत्र की प्रति पर उसका हस्ताक्षर लिया जाना चाहिये। यदि यह सम्भव न हो तो उसकी तामील रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जानी चाहिये।

(दो) प्रत्येक आरोप संक्षिप्त रूप से और स्पष्ट रूप में तैयार किया जाना चाहिये। अस्पष्टता से बचने पर ध्यान दिया जाना चाहिये।

(तीन) सरकारी सेवक द्वारा किये गये कार्य या कृत्य का सम्भव, संक्षेप में उल्लेख किया जाना चाहिये।

(चार) यदि कार्य का कृत्य को किसी विशिष्ट नियम या आदेश या आदेश से सम्बन्धित किया जा सक्ता है तो उसे यहॉ दर्शाया जाना चाहिये, यदि नही ,तो एक सामान्य विवरण जैसे एतद्द्वारा————————————————————के बेईमानी या कर्त्तव्य अवहेलना के दोषी थे, दिया जाना चाहिये।

(पांच) साक्ष्य का विस्तार में दिया जाना आवश्यक नही है। साक्ष्य के विभन्न अंशों को, जिन पर आरोपित सरकारी सेवक के विरूद्व विचार किया जाना प्रस्तावित है, यथा अमुक—अमुक कथन या अमुक 'अमुक का पत्र या की रिपोर्ट दिनांक विनिर्दिष्ट करना ही काफी है। तथापि इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिये कि साक्ष्य जिसे उपस्थित किया जाना है, निःशेष होना चाहिये क्योकि बार में आरोपित सरकारी सेवक के विरूद्व साक्ष्य के किसी अग्रतर अंश पर विचार नही किया जा सकता है जब तक कि उसे बचाव के अग्रसर सहित नई नोटिस न दे दी जाय।

———————————

प्रपत्र–2
(नियम 15 देखिए)
अर्दली कक्ष रजिस्टर का प्रारूप

अपील कक्ष पंजी डिवीजन

क्रसं0	नाम पद तथा दोषारोपित पक्ष की संख्या	अपराध	अपराध का दिनांक	साक्षियों अपराध का कथन तथा पस्थितियां	दोषारोपित पक्ष का कथन	पिछले अपराधों तथा दण्डों का निदेश	अर्दली कक्ष में बैठे अधीक्षक अथवा अधिकारी का निर्णय	अधीक्षक की आज्ञा तथा दिनांक	दण्ड को कार्यान्वित करने की रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आज्ञा से,
आदित्य कुमार रस्तोगी
सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 551/IV-P-2-91-1000(15)/72 dated March 21, 1991 for General information :

No. 551/IV-P-2-91-1000(15)/72
Dated lucknow March 21, 1991

in exercise of the powers under sub sections (2) and (3) of section 46 read with section 2 and 7 of the police act, 1861 (act number 5 of 1861) and all other power enabling him in this behalf and supersession of all exciting rules issued in this behalf, the Governor is placed to make the following rules with a view to regulating the departmental proceedings, punishment and appeals of the police officers of the subordinate ranks of the Uttar Pradesh Police Force :-

The Uttar Pradesh Police officers of the subordinate rank (punishment and appeal) rules, 1991

1- *Short title and commencement-* (1) these rules may be called the Uttar Pradesh Police officers of the subordinate rank (punishment and appeal) rules- 1991

(2) They shall come into force atonce.

2- *Application-* these rules shall apply to all the police officers of the subordinate ranks below the rank of Deputy Superintendent of Police.

3- *Definitions-* in these rules, unless the context otherwise requires :

(a) " Appointing authority" means the authority empowered to make appointments to the post which a Police Officer for the time being holds ;

(b) "Government" means the state government of Uttar Pradesh ;

(c) "Governor" means the Governor of Uttar Pradesh ;

(d) "Director General" means director general-cum- Inspector General of Police in Uttar Pradesh;

(e) "Inspector general" includes all officer of the rank of Inspector General of Police in Uttar Pradesh ;

(f) "Deputy Inspector general" means the deputy Inspector General of Police and officers of the equivalent rank ;

(g) "Police officers" means police officer of the subordinate rank, below the rank of Deputy Superintendent of Police.

4- *Punishment-* (1) the following punishment may, for good and sufficient reasons and as hereinafter provided, be imposed upon a police officer, namely :-

(a) Major penalties :-
(i) dismissal from service.
(ii) removal from service.

(iii) reduction in Rank including reduction to a lower scale to a lower stage in a Time Scale.

(b) Minor penalties :-

(i) with-holding of promotion.
(ii) fine not exceeding one month's pay.
(iii) with-holding of increment, including stoppages at an efficiency bar.
(iv) censure

(2) In addition to the punishment mentioned in sub-Rule (1) head constables and constables may also be inflicted with the following punishment :-

(i) Confinement to quarters (this term includes confinement to quarter guard for a term not exceeding fifteen days extra gaurd or other duty).
(ii) punishment drill not exceeded fifteen days.
(iii) extra guard duty not exceeded seven days.
(iv) deprivation of good conduct pay.

(3) In addition to the punishments mentioned in sub- rules (1) and (2) constables may also be punished with fatique duty, which shall be restricted to the following task :

(i) tent pitching ;
(ii) drain digging ;
(iii) cutting grass, cleaning jungle in picking stones from parade Grounds ;
(iv) repairing huts and butts and similar work in the lines ;
(v) cleaning arms .

5. *Procedure for award of punishment-* (1) the case is which major punishments enumerated in Clause (a) of sub Rule (1) of rule- 4 may be awarded, shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in sub-rule (1) of rule- 14.

2- The case in which minor punishment enumerated in clause (b) of sub-rule (1) of rule- 4 may be awarded, shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in sub rule (2) of rule- 14.

3- The case in which minor penalties mentioned in sub-rules (2) and (3) of rule- 4 may be awarded shall be dealt with in accordance with the procedure laid down in rule- 15.

6- *Place of enquiry-* An enquiry against a police officer may be held either in the district in which the act or omission regarding which enquiry is proposed to be made, took place or where the police officer may be posted at the time of Institution of the enquiry.

7- *Powers of punishment-* (1) the government or any officer of police department not below the rank of the deputy Inspector- general May award any of the punishments mentioned in rule-4 on any police officer.

(2)- The Superintendent of Police May award any of the punishments mentioned in sub-clause (iii) of clause (a) and clause (b) of sub Rule (1), of rule-4 on Inspector and sub inspector.

(3)- The superintendent of police may award any of the punishments mentioned in rule- 4 on such Police officers as are below the rank of sub inspectors.

(4)- Subject to the provisions contained in these rules all assistant Superintendent of Police and Deputy Superintendent of Police who have completed two year of service as assistant superintendent of police and Deputy Superintendent of Police as the case may be, May exercise powers of Superintendent of Police expect the powers to impose major punishments under rule- 4.

(5)- Notwithstanding anything contained in these rules reserve inspecter, inspecter of station officer May award the punishments of drill and fatique duty to any constable under his charge for a period not exceeding three days, but he said inform the superintendent of police concerned of his order immediately and in any case within 24 hours of passing the order.

8. *Dismissal and removal-* (1) no police officer shall be dismissed or removed from service by an authority subordinate to the appointing authority.

(2) No Police Officer shall be dismissed, removed or reduced in Rank expect after proper inquiry and disciplinary proceeding as contemplated by these rules :

Provided that this rules shall not apply-

(a) where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction of a criminal charge ; or

(b) Where the authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in Rank is satisfied that for some reason to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to hold such enquiry ; or

(c) Where the government is satisfied that in the interest of the security of the state it is not expedient to hold such enquiry.

(3) All orders of dismissal and removal of head constable or constable shall be passed by the superintendent of police. cases in which the Superintendent of Police Recommends dismissal or removal of a sub-inspector or Inspector, shall be forwarded to the deputy Inspector- general concerned for orders.

(4) (a) The punishment for intentionally or negligently allowing a person in police custody or judicial custody to escape Shall be dismissal unless the punishing authority for reasons to be recorded in writing awards a lesser punishment.

(b) Every officer convicted by the court for an offence involving moral turpitude shall be dismissed unless the punishing authority for reasons to be recorded in writing considers it otherwise.

9. *Punishment of reduction-* No Police Officer shall be reduced to rank lower than that to which he was originally appointed. An officer may be reduced to from his rank to next lower rank or to a lower Time Scale from any stage in Time Scale to a lower stage for a specified period.

10. *Punishment of Withstanding of increment-* Every order withholding increment as a punishment shall state the period for which it is withhold and whether it shall have the effect of postponing the future increment as provided in financial Hand Book volume II, part II to IV.

11. *Inquiring powers of superior officers-* All or any of the functions exercised by inquiry officer under these rules may also be exercised by an officer of the police force. superior In the rank to the superintendent of police.

12. *Transfer of Departmental enquiry-* The director general, inspecter-general and the deputy inspecter-general or the superintendent of police may for reasons to be recorded in writing, either on his own motion or on the request of the inquiry officer holding the departmental inquiry, transfer the inquiry to any officer of the police force of an equivalent or higher rank.

13. *Officer not competent to conduct disciplinary proceeding-* A gazetted officer of the police force who is either or prosecution witness in the case or has earlier conducted a preliminary enquiry in that case shall not conduct inquiry in that case under these Rules. In case the said gazetted officer is the superintendent of police himself, the deputy inspector-general concened shal be moved to transfer the case to some other District or unit as the case may be.

14. *Procedure for conducting departmentall proceedings-* (1) subject to the provisions contained in these rules, the departmental proceedings in the case referred to in sub-rule (1) of rule 5 against to the police officers May br conducted in accordance with the procedure laid down in appendix- I

(2)- Notwithstanding anything contained in sub-rule () punishments in cases referred to in sub-rule (2) of rule 5 may be imposed after informing the police officer in writing of the action proposed to be taken against him and of the imputations of act or omission on which it is proposed to be taken and giving him a reasonable opportunity of making such representation as he may wish to make against the proposal.

(3)- The charged police officer shall not be represented by Counsel in any proceedings Instituted under these rules.

15. *Orderly room punishments-* Report of petty breaches of discipline and trifling cases of misconduct buy a police officer not above the rank of head Constable shall be enquired into and disposed of in orderly room by the superintendent of police or other gazetted officer of the police force. in such cases punishment may be awarded in a summary manner after informing the police officer verbally of the act or omission on which is proposed to punish him and giving him ann opportunity to make verbal representation. A register in form-2 appended to these rules shall be maintained for such cases. in this register text to of the summary preceeding Shall be recorded.

16. *Proceedings in absentia-* (1) Department proceedings against delinquent police officer may be taken in absentia by the authorities competent to take departmental proceedings if, the police officer against whom Department proceedings are pending or against home it is proposed to start such proceedings or to whom it is impossible for the inquiry officer to contact deliberately absents himself from the place of his posting or from the proceedings when in progress.

(2)- Before taking Departmental proceedings in absentia, the concern at Hardy cell record will writing that is fight or Horas reasonably steps having been taken to contact the police officer it has not been possible to serve the charger on him and and obtain hitch explanation or to secure his personal presence.

Explanation- where the police officer is contacted personally or the charge of the notice it sent to him by registered post at the address given by him as recorded in his character roll and at the place of his present stay, or sent to him by special Messenger at the place of his present stay, and at the address given by him as recorded in his character roll it shall be presumed the reasonable steps have been taken to contact the police officer concerned.

17. *Suspension-*(1) (a) A police officer Against whose conduct an enquiry in contemplated, or is proceeding may be placed under suspension pending the conclusion of the enquiry in the discretion of the appointing authority or by any authority not below the rank of suprintendent of police, authorised by him in this behalf.

(b) A Police officer in respect of or against whom and investigation enquiry or trial relating to a criminal charge is pending May at the discretion of the appointing Authority under whom he is serving be placed under suspension, until the termination of all proceedings relating to that charge, if the charge is connected with his position as a Police Officer or is likely to embarrass him in the discharge of his duties or involves moral turpitude. if the prosecution is instituted by a private person on complaint, the appointing authority May decide whether the circumstances of the case justify the suspension of the accused.

(2) A Police officer shall be Deemed to have been placed or as the case may be continued to be placed under suspension by an order of the appointing authority-

(a) With effect from the date of his detention if he is detained in custody whether the detention is on criminal charge or otherwise for a period exceeding forty eight hours ;

(b) With effect from the date of his conviction if in the event of a conviction for an offence he is sentenced to a term of imprisonment exceeding forty eight hours and is not forth with dismissed or removed consequent to such conviction.

Explanations- the period of forty eight hours referred to in clause (b) of this sub-rule shall be computed from the commencement of the imprisonment after the conviction and for this purpose intermittent periods of imprisonment if any shall be taken into account.

(3) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon a police officer is set aside in appeal or on review under these rules and the case is remitted for further inquiry or action or with any other directions-

(a) If he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall subject to any such directions as aforesaid be deemed to have-continued in force on and form the date of original oder of dismissal or removal,

(b) If he was not under suspension he shall , he shall] if so directed by the appellate or reviewing authority, be deemed to have been placed under suspension by an oder of the appointing authority, on and form the date of the origanal order of dismissal or removal.

Provided that nothing in this sub-rule shall be construed as effecting the power of the competent authority ,in a case where a penalty of dismissal or removel form servic imposed upon a police officer is set aside in appeal or on review uder these rules on grounds other than merits of the allegations on which the said penalty was imposed but the case is not remitted for further inquiry or action or whith any directions , to pass an order of suspension pending further inquiry against him on those allegations ,so however , that any such suspension shall not have retrospective effect.

(4) Where a penalty of dismissal or removal from service imposed upon a police officer is set aside or declared or rendered void in consequence of or by a decision of a Court of low and the appointing authority, on a consideration of the circumstances of the case, decides to hold a further inquiry against him on the allegations on which the penalty of disissal or removal was originally imposed] whather the allegations remain in their oriinal form are clarified or their particulars better specified or any part thereof a minor nature omitted-

(a) If he was under suspension immediately before the penalty was awarded to him, the order of his suspension shall]subject to any direction of the appointing authority, be deemed to have continued in force on and from the date of original order of dismissal or removal,

(b) If he was not under suspension, he shall if so directed by the appointing authrity, be deemed to have been placed under suspension on and form the date of the original order of dismissal or removal.

(5) (a) Any suspension ordered or deemed to have been ordered or to have coninued in force this rule shall continue to remain in force unitil it is modified or revoked by any authority specified in sub-rule (1).

(b) Where a police officer is suspended or is deemed to have been suspended whether in connection with any disciplinary proceeding or otherwise and any other disciplinary proceeding is commencsd against him during the continuance of that suspension, the authority competent to place him under suspension, may for reasons to be recorded by him in writing , direct that the police officer shall continue to be under suspension till the termination of all or any of such proceedings.

(6) subsidiary Rule 199, Financial Hand Book, Volume 2, part 2 to 4, shall cease to apply to apply to police officers governed by this rule .

18. *strictures by court-* Where a court adversely comments the conduct of a police officer ,an enquiry shall be made immediately into the points which the court had hold deserving of censure , without waiting for the result of an appeal if any.

19. *Leave during enquiry--* Leave may not be granted to a police officer under suspension or against whose enquiry is pending or is contemplated, except on medical certificate signed by the chief medical officer of the district to which the police officer is posted.

20. *Appeals--(*1)Every police officer against whom an order of punishment mentioned in sub -clauses (1) to (3) of clause (a) and sub- clauses (1) to (4) clause (b) entitled to prefer an appeal against the order of such punishment to the authority mentioned below--

(a) to the Deputy Inspector -General , if the original order is of the Superintendent of Police or officers empowered under sub -rule (4) of rule 7 of these ruless,

(b) to the Inspector -General, if the original order is of the Deputy Inspector -General.

(c) to the Director -General, if the original order is of inspector General,

(d) to the State Government , if the original order is of Director General.

(2) No appeal shall lie against an order inficiting any of the petty punishmant enumerated in sub-rules (2) and (3) of rule 4.

(3) Every officer desiring to prefer an appeal shall do so separately.

(4) Everry appeal, preferred under these rules shall contain all material statement, arguments relied on by the polic officers preferring the appeal and shall be complete in itself, but shall not contain disrespectful or improper language . Every appeal shall be accompanied by a copy of final order which is the subject of appeal.

(5) Every appeal , whether the appellant is still in service of Government or not , shall be submitted through the supeerintendent of police of the district or in the case of police officers not employed in district work through the head of the office to which the appellant belongs or belonged.

(6) An appeal will not be entertained unless it is preferred within three month form the date on which the police officer concerned was informed of the order of punishment .

Provided that the appellate authority may at his discretion ,for good cause shown extend the said up to six month.

(7) If the appeal preferred does not comply with the provisions of sub- rule (4) the appellate authority may require the appellant to comply with the provisions of the said sub-rule within one maoth of the notice of such order to him and if the appellant fails to make the above compliance the appellate authority may dispose of the appeal in the manner as it deems fit .

(8) The Director- General or an Inspector- General may for reasons to be recorded in writing , either on his own notion or on request from an appellate authority before whom the appeal is pending transfer the same to any order officer of corresponding rank.

21. *Submission of documents with appeal*-(1) When the appellate authority admits the appeal and sends for the records , all the papers should be submitted which were ewre considered by the against whose order the appeal is made , including the character roll and service roll of the officer punished.

(2) copies of orders passed in appeal which are furnished to the superitendent of police by appellate authority shall invariable be accompanied with the departmental file and shall be submitted therewith when the record is called for .

22- *Conting of dismissal period* -- Wher an appeal against the order of dismissal or removal succeeds, the appointing authority shall consider and make a specific order (1) regarding the period of suspension preceding his dismissal or removal as the case may be ,and

(2) whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty in accordance which the provisions of Rule 54 of the Financial Hand Book,Vol 2 part 2 to 4,

23. *Revision*-(1)An officer whose appeal has rejected by any authority subordinnate to the Government is entitled to submit an application for revision to the authority next in rank above by which his appeal has been rejected within the period of three months form the date rejection of appeal . on such an application the power of revision may be exercised only when in consequent of flagrant irrgularity , there appears to have been matirial injustice or miscarriage of justice.

provided that the revising authority may on its own motion call for and examine the records of any order passed in appeal against which no revision has been preferred under this rule for the purpose of satisfying itself as to the legality or prooety of such order or as to the regularity of such procedure and pass such order with respect theretoas it may think fit.

provided further that no order the firsr proviso shall be made except after giving the person effected a reasonble opportunity of being heard in the matter.

(2) The procedure for appeal applis to applications for revision . An application for revision of an order rejecting an appeal shall be accompananied by a copy of the original order as well as the order of appellate authority.

24. *Enhancement of punishment* --a a punsihment may be enhanced by--

(a) an appellate authority on appeal or

(b) any authority superior to the authority to whom an application will lie ,in exercise of recsionary powers.

Provided that before enhancing the punishment such authority shall call upon the officer punished , to show cause why his punishment should not be so enhanced and that an order by such authority so enhancing a punishment shall be deemed to be an original order of punishment .

25. *Power of Government* - Not withstanding anything contained in these Rules the Government may , on its own motion or otherwise call for and examine the records of any case decided by an authority subordinate to it in the exercise of any power conferred on such authority by these rules , and agaist which no appeal has perferred under these rules and--

(a)confirm modify or revise order passed by such authority ,or

(b) direct that a futher inquiry be held in the case ,or

(c)reduce or enhance the penalty imposed by the order ,or

(d) make such other order in the case as it may deem fit.

Provided that where it is proposed to enhance the penaly imposed by any such order the police officer concerned shall be given an opportiunity of showing cause against the proposed enhancement.

26- *Copies of offical docoment* -- An officer is entitled to recive free of charge one copy of any order aginst which an appeal , application for revision or petition lies under these rules.

27. *Supply of copies of docoments on payments-* A Police officer is entitled, on payment at the rates to be fixed form time to time by the Government ,copies of all papers materials to an appeal , applicatiom for revision or petition which lies under these rules confidentials papers , the publication of which would be prejudicial to the administration.

NOTE-Officer making reports in punishment cases shall as for as possible, exclude all matter, the publication of which might be prejudicial to the administration.

APPENDIX-1

PROCEDURE RELATING TO THE CONDUCT OF DEPARTMENTAL PROCEEDINOS AGAINST POLICE OFFICER

[See RULE 14(1)]

UPON institution of a formal enquiry such police officer against whom the enquiry has been instituted shall be informed in writing of the grounds on which it is proposed to take action and shall be afforded an adequate opportunity of defending himself. The ground on which it is proposed to take action shall be used in the form of definite charge or charges as in FORM-1 appended to these Rules which shall be communicated to the charged polices officer and which shall be so clear and precise to give sufficient indication to the charged police officer of the facts and circumstances against him.He shall be required whithen a reasonable time , to put in a written statement of his defence and to state whwther he desires to be honrd in person. If he so desires , or if the Inquiry Officer so directs an oral enquiry shall be hold in respect of such of the allegation as are not admitted. At that enquiry such oral evidence will be recorded as the Inquiry officer considers nesessary . The charge police officer shall be entitled to cross-examine the witnesses, to give evidence in person and to have such witnesses called as he may wish, provided that the Inquiry officer may, for sufficient reasons to be recorded in writing , refuse to call a witness. The proceeding shall contain a sufficient record of the evidence and statemant of the findingd=s and the ground thereof. The Inquiry officer may also separately form these proceeding make his own recommendaration regarding the punishment to be imposed on the charged police officer.

FORM-1

form of charge to be used in proceeding under section 7 of the Police Act ,1861 Office of the

To

Date--------199

(FULL name and designation of the police officer charged)

You are hereby charged as follows----

(1) that you on (or about) (or between)----------and ----------dated) while posted as designation

(Facts of the case)

and hereby

committed a breach of rule ----------or were quality of discharge your duty or ect.

Ecidence which it proposed to consoder in support of the charge---

(1)+

(2)+

(3)+

(2) that you* ect.

(3) that you* ect.

+ (to be repeated as many times as there charges)

You are hereby required on or before----------to put in a written statement of your defence in reply to each of the charges. You are warned that if no such statement is recived form you by the undersigned within the time allowed , it be presumed that you have none to furnish and order's will be passed in your case accordingly.

You are further simultaneosly to inform the undersigned in writing whether you desiro to be heard in person and in case you wish to examinen or cross- examine any witnesses to submit along with your written statement their names and addresses togther with a brief indication of the evidence which each such witness shall be expected to give.

(Signature and designation of
inquring officer)
(For and on behalf of*)

CER TIFIED that the charge has read over and explained to----------(party charged) in simple Hindi and a copy of the same was handed over to----------Received a copy of charge.

(Signature and Designation of
inquiring officer)

Signature and party charged

NOT TO FORM PART OF THE CHARGE

Instructions-

(1) The charge sheet should be given to the person concrened and his signature should be taken on a copy of the charge- sheet. If that is not possible ,if should be served by registered post.

(2)Each charge should be drawn up precisely and clearly , care being taken to avoid vegueness.

(3) state the act ,or commission by the Government servant with as much precision as possible.

(4) If the act ,or commission can be related to any specific rule or order it should be shown here ,if not a general statement like" were there by quilty of dishonesty derelication of duty " ect. should be .

(5) It is not necessary that evidence should be set in detail. It is enough to specify the different place evidence which it is proposed to take in to account against the Government servant charged e. g. statement of so and so or report of so and so, dated such and such. Care should be taken , however, to see that the evidence cited is exhaustive as no further place of evidence can considered against the Government servant charged later on unless he is given fresh notice of it and so also an apportunity to meet it.

FORM--2
(See RULE 15)
Proforma of orderly room register

Appeal room's register Division

SI .no.	Name Designati -on and no . of charged party	Offence	Date of offence	Statemen of witnesses and circums- tances	Statement of charged party	Direction regarding previous offences and punish- ment	Decision of Superin- tendent or officer in orderly room	Order of superin- tendent and date	Report about execution of the punish- ment
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

By order,
ADITYA KUMAR RASTOGI,
Sachiv.

कम.संख्या––240

रजि0 नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0–91/2008–10
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग––4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ, सोमवार, 29 जून, 2009
आषाढ़ 8, 1931 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग–2

———

संख्याः1214/छः–पु–2–09–1000(15)–72
लखनऊ 29 जून, 2009

———

अधिसूचना

सा0 प0नि0––28

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और 7 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों को प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1–– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2009 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी।

नियम 20 का संशोधन	**2—** उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गए नियम 20 में उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
नियम–20(1) ऐसे पुलिस अधिकारी, जिसके विरूद्ध नियम–4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उप खण्ड (एक) से (तीन) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) से (चार) में उल्लिखित दण्ड का आदेश पारित किया जाये, ऐसे दण्ड के आदेश के विरूद्ध नीचे उल्लिखित प्राधिकारी को अपील कर सकता हैः–	20 अपील (1)प्रत्येक पुलिस अधिकारी जिसके विरूद्ध नियम–4 के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) से (तीन) और खण्ड (ख) के उपखण्ड (एक) से (चार) में उल्लिखित दण्ड के आदेश के विरूद्ध नीचे उल्लिखित प्राधिकारी को ऐसे दण्ड के आदेश के विरूद्ध अपील करने का हकदार होगाः–
(क) उपमहानिरीक्षक को यदि मूल आदेश पुलिस अधीक्षक या इस नियमावली के उपनियम (4) के अधीन सशक्त अधिकारी का हो,	(क) उस पुलिस अधिकारी को जो उस पुलिस अधिकारी के, जिसने दण्ड का आदेश पारित किया है, ठीक उससे ऊपर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी हो,
(ख) महानिरीक्षक को, यदि मूल आदेश उप महानिरीक्षक का हो,	(ख) पुलिस महानिदेशक को, जो या तो अपील का स्वयं विनिश्चय कर सकते हैं या किसी अपर महानिदेशक को उसका विनिश्चय करने के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकते हैं,
(ग) महानिदेशक को, यदि मूल आदेश महानिरीक्षक का हो,	(ग) खण्ड (ख) के अधीन पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार को।
(घ) राज्य सरकार को, यदि मूल आदेश महानिदेशक का हो,	

नियम 23 का संशोधन	**3–** उक्त नियमावली में नियम 23 में नीचे स्तम्भ (1) में दिये गये उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा अर्थतः–

स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
नियम–23(1) ऐसा कोई अधिकारी, जिसकी अपील सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी गयी हो, उस प्राधिकारी से जिसके द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गयी है, उच्चतर श्रेणी के प्राधिकारी को अपील अस्वीकार किये जाने के दिनांक से तीन मास की अवधि के भीतर, पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए हकदार है। ऐसे प्रार्थना पर पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब घोर अनियमितता के परिणामस्वरूप सारवान, अन्याय या न्याय की हत्या होना प्रतीत होः–	नियम–23 पुनरीक्षण (1) ऐसा कोई अधिकारी, जिसकी अपील सरकार के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दी गयी हो, उस प्राधिकारी से, जिसके द्वारा अपील अस्वीकार कर दी गयी है, ठीक उच्चतर श्रेणी के प्राधिकारी को अपील अस्वीकार किये जाने के दिनांक से तीन मास के भीतर, पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र पत्र प्रस्तुत करने के लिए हकदार हैः–
स्तम्भ–1 **विद्यमान उपनियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**
प्रतिबन्ध यह है कि पुनरीक्षण प्राधिकारीस्वप्रेरणा से अपील में पारित किसी आदेश को जिसके विरूद्ध इस नियम के अधीन कोई पुनरीक्षण न प्रस्तुत विधिमान्यता या औचित्य के सम्बंध में या ऐसाी प्रक्रिया की अनियमितता के सम्बंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ उसके अभिलेख को मंगा सकता है और उनका परीक्षण कर सकता और उसके सम्बंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह कि प्रभावित व्यक्ति को	(क) उस पुलिस अधिकारी को, जो अपीलीय आदेश पारित करने वाले पुलिस अधिकारी के ठीक ऊपर अधिकारिता का प्रयोग करने वाला प्राधिकारी हो, (ख) पुलिस महानिदेशक को जो या तो पुनरीक्षण का विनिश्चय कर सकते हैं या किसी अपर महानिदेशक को इसका विनिश्चय है करने के लिए नाम निर्दिष्ट कर सकते हैं। (ग) खण्ड (ख) के अधीन पारित आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार को। ऐसे प्रार्थना पत्र पर पुनरीक्षण की शक्तियों का

मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना प्रथम परन्तुक के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जा सकेगा।	प्रयोग तभी किया जा सकता है, जब घोर नियमितता के परिणामस्वरूप सारवान, अन्याय या न्याय की हत्या होना प्रतीत होः— प्रतिबन्ध यह है कि पुनरीक्षण प्राधिकारी स्वप्रेरणा से अपील में पारित किसी आदेश को जिसके विरूद्ध इस नियम के अधीन कोई पुनरीक्षण न प्रस्तुत किया गया हो, विधि मान्यता या औचित्य के सम्बंध में या ऐसी प्रक्रिया की अनियमितता के सम्बंध में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ उसके अभिलेख को मंगा सकता है और उनका परीक्षण कर सकता है और उसके सम्बंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझें। अग्रेतर प्रतिबन्ध यह कि प्रभावित व्यक्ति को मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये बिना प्रथम परन्तुक के अधीन कोई आदेश नहीं दिया जा सकेगा।

आज्ञा से,
महेश कुमार गुप्ता,
सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following english translation of notification no. 1214/VI-Pu-2-09-1000(15)-72, dated June 29. 2009.

No. 1214/VI-Pu-2-09-1000(15)-72,
Dated Lucknow June 29. 2009

IN exercise of the powers under sub section (2) and (3) of section 46 read with sections 2 and 7 of the police Act 1861 (Act no. 5 of 1861) and all order power enabling him, in this behall, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Officers or the Subordinate Ranks (Punishment and appeal) Rules, 1991

THE UTTAR PRADESH POLICE OFFICERS SUBORDINATE RANKS (PUNISHMENT APPEAL)(FIRST AMENDMET) RULES, 2009

Short title and commencement

1.(1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Ppolice Officers of the SubordinateRanks (Punishment and appeal) (First Amendment) Rules, 2009
(2)They shall come into force with effect from the date of their publication in t*he Gazette.*

Amendment of rule 20

f2. In the Uttar Pradesh PoliceOfficers of the Subordinate Ranks (Punishment and appeal) Rules, 1991 hereinafter referred to as said rules, in rule, 20 for sub rule

(I) set out in column I below, the sub rule as set out in columm II shall be substituted namely-

COLUMN-I *Existing Sub- rules*	COLUMN-2 *Sub rule as hereby substituted*
20.Appeals (I) Every police officer against whom an order of punishment mentioned in sub- clauses(i) to (iii)or clause (a) and sub-clauses(i) to (iv)of clause (b) entited to prefer an appeal against the order of such punishment to the authority mentioned below- (a) to the Deputy Inspector General, if the original order is of the Superintendents of Police or officers empowered under sub-rule (4) of rule 7 of these rules; (b) to the Inspector General, if the original order is of the Deputy Inspector General; (c) to the Director General, if the original order is of Inspector General; (d) to the State Government, if the original order is of Director General.	20.Appeals (I) Every police officer against whom an order of punishment sub- clauses(i) to (iii)of clause (a) and sub- clauses(i) to (iv) of clause (b) of rule 4 shall be entited to prefer an appeal against the order of such punishment to the authority mentioned below- (a) to the Police Officer who is the immediate jurisdictional superior authority to the police officer who passed the order of punishment; (b) to the Director General of Police who may either decided the appeal himself or nominate any Additional Director General of deciding it; (c) to the state government against the order passed under clause (b).

Amendment 3. In the said rules, in rule 23 for sub rule set I out in column I below, the sub rule

of rule23 as set out in column I I shall be substituted, namely:-

COLUMN-I *Existing Sub- rules*	COLUMN-2 *Sub rule as hereby substituted*
23. Revision(1) An officer whose appeal has been rejected by any authority subordinate to the Government is entitled to submit an application for revision to the authority next in rank above by which his appeal has been rejected within the period of three months from the date of rejection of appeal. On such an application the powers of revision may be exercised only when, in consequent of flagrant irregularity, there appears to have been meterial injustice or miscarriage of justice: Provided that the revising authority may on its own motion call for and examine the records of any order passed in appeal against which no revision has been preferred under this rule for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such order or as to the regularity of such procedure and pass such order with respect there to as it may think fit: Provided further that no order under the first proviso shall be made except after giving the person effected a reasonable opportunity of being heard in the matter.	23. Revision(1) An officer whose appeal has been rejected by any authority subordinate to the Government is entitled to submit an application for revision to the superior authority next to the authority which has rejected his appeal within three months from the date of rejection of appeal as mentioned below:- (a) to the Police Officer who is the immediate jurisdictional superior authority to the Police Officer who passed the appellate order. (b) to the Director General of Police who may either decide the revision himself or nominate any Additional Director General for deciding it; (c) to the State Government against the order passed under clause (b). On such an application thr powers of revision may be exercised only when, in consequent of flagrant irregularity, there appears to have been meterial injustice or miscarriage of justice: Provided that the revising authority may on its own motion call for and examine the records of any order passed in appeal against which no revision has been preferred under this rule for the purpose of satisfying itself as to the legality or propriety of such order or as to the regularity of such procedure and pass such order with respect there to as it may think fit: Provided further that no order under the first proviso shall be made except after giving the person effected a reasonable opportunity of being heard in the matter.

By order,
MAHESH KUMAR GUPTA,
Sachiv.

कम.संख्या––230

रजि0 नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग––4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)
लखनऊ, सोमवार, 09 सितम्बर, 2013
भाद्रपद 18, 1935 शक सम्वत्
उत्तर प्रदेश सरकार
गृह (पुलिस) अनुभाग–2

———

संख्याः1505/छः–पु–2–2013–1000(15)–72

लखनऊ 09 सितम्बर, 2013

———

अधिसूचना

सा0 प0नि0––58

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और 7 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों को प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 का संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैंः–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1–– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड अपील) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 4 का संशोधन	2–उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली, 1991 में नियम 4 में उपनियम (1) में नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :–

स्तम्भ–एक **विद्यमान खण्ड**	**स्तम्भ–दो** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(ख) लघु शास्तियॉः– (एक) प्रोन्नति रोकना (दो) एक मास के वेतन के अनधिक अर्थदण्ड (तीन) वेतन वृद्धि को रोकना जिसके अन्तर्गत दक्षतारोक पर वेतन वृद्धि को रोकना भी है। (चार) परिनिन्दा।	(ख) लघु शास्तियॉः– (एक) प्रोन्नति को रोकना (दो) एक मास के वेतन के अनधिक अर्थदण्ड (तीन) वेतन वृद्धि को रोकना जिसके अन्तर्गत दक्षतारोक पर वेतन वृद्धि को रोकना भी है। (चार) परिनिन्दा। (पॉच) आदेशों की उपेक्षा या उनका उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई किसी आर्थिक हानि को पूर्णतः या अंशतः वेतन से वसूल किया जाना।

आज्ञा से,
आर0एम0 श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1505/Chh-pu-2-2013-1000(15)-72 dated September 9, 2013 for general information.

No. 1505/Chh-pu-2-2013-1000(15)-72

Dated Lucknow September 9. 2013

IN exercise of the powers under sub section (2) and (3) of section 46 read with section 2 and 7 of the Police Act. 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling in him in this behalf. the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules. 1991.

THE UTTAR PRADESH POLICE OFFICERS OF THE SUBORDINATE RANKS (PUNISHMENT AND APPEAL) (SECOND AMENDMENT) RULES. 2013

Short title and commencement	1-(1) These rules may be cakked the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) (SECOND AMENDMENT) RULES. 2013 (2) They shall come into force with effect from the date of publication in the *Gazette.*
Amendment of rule 4	2- In the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules. 1991. in rule 4. in sub-rule (1) for clause (b) set out in Column-1 below the clause as set out in Column-2 shall be *substiuted.* namely-

Column-1 *Existing clause*	Column-2 *Clause as hereby substituted*
(b) Minor penalties- (1) With holding of promotion; (2) Fine not exceeding one month's pay; (3) With holding of increment including stoppage at an efficiency bar; (4) Censure.	(b) Minor penalties- (1) With holding of promotion; (2) Fine not exceeding one month's pay; (3) With holding of increment including stoppage at an efficiency bar; (4) Censure; (5) Recovery from pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Government by negligence or breach of orders.

By order
R.M. Srivastava
Pramukh Sachiv.

क्रम.संख्या––226

रजि0 नं0–एस0एस0पी0/एल0
डब्लू0/एन0पी0–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग––4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 28 सितम्बर, 2018

आश्विन 6, 1940 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

गृह (पुलिस) अनुभाग–2

———

संख्याः8/2018/1462/छः–पु–2–2018–1000(15)–72

लखनऊ 28 सितम्बर, 2018

———

अधिसूचना

सा0प0नि0––83

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1861) की धारा 2 और 7 के साथ पठित धारा 46 की उपधारा (2) और (3) के अधीन शक्तियों और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली 1991 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1––(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 कही जायेगी। (2) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।
नियम 23 का संशोधन	2––उत्तर प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड और अपील) नियमावली 1991 में, नियम 23 में उप नियम (1) में, नीचे स्तम्भ–एक में दिये गये खण्ड (ख) के स्थान पर, स्तम्भ–दो में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–एक विद्यमान खण्ड	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
नियम–23 (ख) पुलिस महानिदेशक को जो या तो पुनरीक्षण का विनिश्चय कर सकते हैं या किसी अपर पुलिस महानिदेशक को इसका विनिश्चय करने के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकते हैं।	**नियम–23 (ख)** पुलिस महानिदेशक को जो या तो पुनरीक्षण का विनिश्चय कर सकते हैं या किसी अपर पुलिस महानिदेशक अथवा अन्य पुलिस महानिदेशक को इसका विनिश्चय करने के लिए नामनिर्दिष्ट कर सकते हैं।

आज्ञा से,
अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 8/2018/1462/Chh-pu-2-2018-1000(15)-72 dated September 28. 2018 for general information.

No. 8/2018/1462/Chh-pu-2-2018-1000(15)-72

Dated Lucknow September 28. 2018

IN exercise of the powers under sub section (2) and (3) of section 46 read with section 2 and 7 of the Police Act. 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling in him in this behalf. the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules. 1991.

THE UTTAR PRADESH POLICE OFFICERS OF THE SUBORDINATE RANKS (PUNISHMENT AND APPEAL) (THIRD AMENDMENT) RULES. 2018

Short title and commencement	1- (1) These rules may be cakked the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) (Third AMENDMENT) RULES. 2018. (2) They shall come into force with effect from the date of publication in the *Gazette.*
Amendment of rule 23	2- In the Uttar Pradesh Police Officers of the Subordinate Ranks (Punishment and Appeal) Rules. 1991. in rule 23. in sub-rule (1) for clause (b) set out in Column-1 below the clause as set out in Column-2 shall be substiuted, namely:-

Column-1 *Existing clause*	Column -2 *Clause as hereby substituted*
(b) to the Director General of police who may either decide the revision himself or nominate any Additional Director General for deciding it.	(b) to the Director General of police who may either decide the revision himself or nominate any Additional Director General or other Director Generals for deciding it.

By Order
ARVIND KUMAR.
Pramukh Sachiv